

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 1888 /2-6, दिनांक, गोरखपुर, फरवरी 07/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- जनपद देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस०एच०-1 कि०मी० 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- भारत सरकार के पत्र सं०-8वी/यू०पी०/०६/४६/२०१७/एफ०सी०/४४४ दिनांक 05.12.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1807/11-सी-एफ०पी०/यू०पी/अन्य/16134/2015 दिनांक 18.01.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-1771/2-6, दिनांक 24.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1711/2-6, दिनांक 12-01-2024 द्वारा उक्त प्रस्ताव आपको प्रेषित किया गया था। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक- 1807/11-सी-एफ०पी०/यू०पी/अन्य/16134/2015 दिनांक 18.01.2024 द्वारा निम्न 2 बिन्दुओं पर आपत्ति की गयी।

पुनः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- 1771/2-6, दिनांक 24.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संसोधित प्रस्ताव /अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव/अभिलेख मूल में एत्सह संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या- 1888 अ/दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 1771/ 2-6 देवरिया, दिनांक, जनवरी 24 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1, कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र संख्या-1756/2-6 दिनांक 19.01.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1807/ 11-सी/ एफ0पी0/यू0पी0/अन्य 16134/2015 ।


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक पेट्रोल पम्प में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या आपकी सेवा में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	ऑनलाईन-पार्ट-2 के क्रमांक 4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है, जबकि एन0पी0वी0 गणना में 0.4 अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑनलाईन पार्ट-2 में फीड करें तथा हिन्दी भाग-2 में सही हरियाली घनत्व अंकित कर ऑनलाईन अपलोड करें ।	ऑनलाईन-पार्ट-2 के क्रमांक 4 में हरियाली घनत्व 0.4 अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	भारत सरकार की आपत्ति निराकरण के क्रम में संलग्न दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है। अतः सही गणना कर ऑनलाईन अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पूर्व की गयी त्रुटिपूर्ण गणना को डिलिट करें ?	दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। Additional Information Detail से पूर्व में की गयी त्रुटिपूर्ण गणना को डिलिट कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

एन०पी०वी० की गणना

जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड (नयारा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा सलेमपुर-देवरिया मार्ग (एस०एच०-1) ग्राम-अहिल्यापुर बुजुर्ग, तहसील-देवरिया की गाटा सं०-547, प्रस्तावित किये गये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग से 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु एन०पी०वी० की गणना :-

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन क्रम में भारत सरकार की पत्र संख्या-11-42/2017 /एफ०सी० दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ०एन० 5-3/2007 (एफ०सी० डिविजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या-एफ०एन० 5-3/2011, एफ०सी० (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन०पी०वी० रेट के अनुसार गणना :-

हरियाली घनत्व- 0.4, ईको-क्लास-III

एन०पी०वी० की गणना :- क्षेत्रफल- 0.075028 हे० X 1228590.00 प्रति हे० = Rs. 92,178.65
या:- 92179.00

दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना 5 गुना :- = 92179x5= 4,60,895.00

(उल्लंघन की तिथि दिनांक 23.03.2018 से 23.03.2024 तक

छ: वर्ष तक वार्षिक व्याज 12 प्रतिशत = $\frac{460895 \times 6 \times 12}{100}$

= 3,31,844.40 या-3,31,844.00

कुल दण्डात्मक एन०पी०वी० + व्याज

= 4,60,895.00+ 3,31,844.00=792739.00

कुल देय धनराशि

= 792739.00

R. J. J. J.

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया